नियम 8 : स्थावर संपत्ति के संबंध में प्रदाय की गई प्रत्यक्ष सेवाओं की पूर्ति की दशा में, धारा 13(7) के अधीन विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों से मूल्य के समनुपात का अवधारण

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन स्थावर संपत्ति के संबंध में प्रत्यक्ष रुप से सेवाओं, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों और संपदा अभिकर्ताओं द्वारा इस संबंध में प्रदाय की गई सेवाएं भी है, का प्रदाय किसी होटल, सराय, अतिथि–गृह, क्लब या शिविर स्थान, चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हो, द्वारा आवास का प्रदाय, स्थावर संपत्ति के उपयोग के अधिकार प्रदान करने, संनिर्माण कार्य को करने या उसके समन्वय के लिए सेवाएं, जिसके अंतर्गत वास्तुविदों या आंतरिक सज्जाकार की सेवाएं भी है, के मामले में, जहां सेवाओं के प्रदाय का अवस्थान या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवाओं का मूल्य पृथक रुप से संगृहीत करने या अवधारण करने के लिए सेवाओं के प्रदायकर्ता या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियम 4 के उपबंधों को लागू करके अवधारित किया जाएगा।